कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांकः— 869 / एस0टी0—डी0एम0 / 2021 दिनांक :— 07 मई, 2021

कार्यालय आदेश

उ0प्र0शासन ने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या—696 / पॉच—5—2021 दिनांक 13.04.2021 **(छायाप्रति संलग्न)** के अन्तर्गत सूचित / निर्देशित किया है कि चिकित्सा अनुभाग—5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—25674 / पांच—5—2020 दिनांक 01.12.2020 द्वारा निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण आर0टी0पी0सी0आर0 जांच हेतु ली जाने वाली फीस की अधिकतम धनराशि निर्धारित की गयी है तथा शासनादेश संख्या—1412 / पॉच—5—2020 दिनांक 10.07.2020 एवं शासनादेश संख्या—1805 / पॉच—5—2020 दिनांक 10.09.2020 के माध्यम से निजी चिकित्सालयों द्वारा **कोविड—19 से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु दर निर्धारित की गयी है।** इसके अतिरिक्त नगरों का वर्गीकरण भी किया गया है, जिसमें नोएडा क्षेत्र को श्रेणी ए में रखा गया हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिये हैं कि यदि संदर्भित **शासनादेश में दी गयी व्यवस्था / निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 (यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम—2020 की संगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।**

जनपद के सभी निजी चिकित्सालयों द्वारा संदर्भित शासनादेश में दिये गये निर्देश / व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि संदर्भित शासनादेश में दी गयी व्यवस्था / निर्देश का यदि किसी निजी चिकित्सालय द्वारा पालन न करते हुए अत्यधिक धनराशि किसी व्यक्ति / परिवार से प्राप्त की गयी है, तो वह सम्बन्धित बिल की प्रति सहित अपनी शिकायत **व्हाट्सएप्प नम्बर—9354357073 पर** कर सकते हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त का अनुश्रवण करते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। साथ ही एक टीम गठित करें जो उपरोक्त व्हाट्सएप्प नम्बर पर जनसामान्य से प्राप्त शिकायत के परिप्रेक्ष्य में तत्काल जांच करते हुए अपनी स्पष्ट रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगी। गठित टीम द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट का अनुश्रवण करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों एवं एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 (यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम—2020 की संगत धाराओं के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

संलग्नक :—उपरोक्तानुसार।

(सुहास एल0वाई0)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर।

प्रतिलिपिः— **निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित—**

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव (गृह) उ0प्र0शासन, लखनऊ।

निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा / प्रभारी कोविड—19, गौतमबुद्धनगर।
7. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर
8. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
9. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) / (वि0रा0) गौतमबुद्धनगर।
10. नगर मजिस्ट्रेट, नोएडा / ग्रेटर नोएडा।
11. समस्त उप जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
12. मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त की प्रति जनपद के सभी सम्बन्धित निजी अस्पतालों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
13. जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
14. सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ।

7/5/2021

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

ADM(F/R)/CMO 355/Mu/21 30/4/21

कृ० नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर

19 APR 2021

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–5
संख्या–696 / पॉच–5–2021
लखनऊ दिनॉकः 13 अप्रैल, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

चिकित्सा अनुभाग–5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2567 / पांच–5–2020, दिनांक 01.12.2020 द्वारा निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की आर0टी0पी0सी0आर0 जांच हेतु ली जाने वाली फीस की अधिकतम धनराशि निर्धारित की गयी है तथा शासनादेश संख्या–1412 / पॉच–5–2020, दिनांक 10.07.2020 एवं शासनादेश संख्या–1805 / पॉच–5–2020 दिनांक 10.09.2020 के माध्यम से निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड–19 से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु दर निर्धारित की गयी है।

2– वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की आर0टी0पी0सी0आर0 जांच हेतु ली जाने फीस एतद्द्वारा निम्नवत निर्धारित की जाती है:–

निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैम्पल की जांच की दर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला पर जाकर कोविड–19 की जांच कराने पर दर	रू. 700 / –(सात सौ रूपये मात्र जी0एस0टी0 सहित)
निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्र किये गये सैम्पल की दर	रू. 900 / –(नौ सौ रूपये मात्र जी0एस0टी0 सहित)
यदि राज्य सरकार के विहित प्राधिकारी द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को सैम्पल प्रेषित कराए जाने पर दर	रू. 500 / –(पांच सौ रूपये मात्र जी0एस0टी0 सहित)

3– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–1412 / पॉच–5–2020 दिनांक 10.07.2020 एवं शासनादेश संख्या–1805 / पॉच–5–2020 दिनांक 10.09.2020 के माध्यम से नीति आयोग, भारत सरकार के सदस्य डा0 विनोद पॉल की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के कम में निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड–19 से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु निम्नवत दर निर्धारित की गयी है:–

(1) 'ए' श्रेणी के नगरों में सुपर स्पेशिलिटी की सुविधा वाले अस्पतालों को कोविड–19 अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने पर मरीजों से निम्नलिखित दर ली जायेगी:–

Category of hospitals	Hospital rates for per day of admission (In Rs.)		
	Moderate Sickness	Severe Sickness	Very Severe Sickness
	ISOLATION BEDS Including supportive care and oxygen	ICU without need for ventilator care	ICU with ventilator care (Invasive/non-invasive
NABH accredited Hospitals (Including entry level)	10,000/- (Includes cost of PPE Rs. 1200/-)	15,000/- (Includes cost of PPE Rs. 2000/-)	18,000/- (Includes cost of PPE Rs. 2000/-)
Non-NABH accredited Hospitals	8,000/- (Includes cost of PPE Rs. 1200/-)	13,000/- (Includes cost of PPE Rs. 2000/-)	15,000/- (Includes cost of PPE Rs. 2000/-)

(2) प्रदेश के 'बी' एवं 'सी' श्रेणी के नगरों में स्थित सुपर स्पेशिलिटी के अस्पताल उक्त दरों का कमशः 80 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत शुल्क लेगें।

4— नगरों का वर्गीकरण निम्नवत हैं:—

श्रेणी—ए—कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्धनगर) और गाजियाबाद के नगर।

श्रेणी—बी—मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनुपर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, अयोध्या, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रूखाबाद के नगर।

श्रेणी—सी—उपरोक्त श्रेणी—ए व बी से भिन्न जनपदों के नगर।

5— यह संज्ञान में आया है कि अभी भी कई निजी चिकित्सालयों द्वारा उक्त निर्धारित दर कन्सल्टेन्सी फीस के अतिरिक्त नर्सिंग केयर, मॉनिटरिंग, विजिट आदि के नाम पर पृथक से अधिक शुल्क लिया जा रहा है, जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 तथा उ0प्र0 महामारी कोविड—19 विनियमावली, 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

6— निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड—19 के उपचार हेतु लिए जाने वाले शुल्क में निम्नलिखित सुविधाएं समाहित हैं:—

(1) आइसोलेशन बेड (ऑक्सीजन एवं सहयोगी सुविधाओं के साथ) हेतु प्रति दिन की दर एन0ए0बी0एच0 एक्रीडेटेड चिकित्सालय के लिए रूपये 10 हजार तथा नॉन—एक्रीडेटेड चिकित्सालयों के लिए रूपये 08 हजार निर्धारित की गयी है, जिसमें कम गम्भीर रोगियों हेतु ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक सहयोगी उपचार सम्मिलित हैं।

(2) आई0सी0यू0 बेड (बिना वेन्टीलेटर) हेतु प्रति दिन की दर एन0ए0बी0एच0 एक्रीडेटेड चिकित्सालय के लिए रूपये 15 हजार तथा नॉन—एक्रीडेटेड चिकित्सालयों के लिए रूपये 13 हजार निर्धारित की गयी है। इस श्रेणी में हाइपरटेंशन एवं अनियंत्रित डायबटीज से पीड़ित को—मॉर्बिडिटीज रोगी सम्मिलित है।

(3) आई0सी0यू0 बेड (वेन्टीलेटर सहित) हेतु प्रति दिन की दर एन0ए0बी0एच0 एक्रीडेटेड चिकित्सालय के लिए रूपये 18 हजार तथा नॉन—एक्रीडेटेड चिकित्सालयों के लिए रूपये 15 हजार निर्धारित की गयी है। इस श्रेणी में इनवैसिव मैकेनिकल वेन्टीलेशन तथा नॉन—इनवैसिव मैकेनिकल वेन्टीलेशन जैसे—एच0एफ0एन0सी0 एवं BiPAP (Bi-leval Positive Airway Pressure) की आवश्यकता वाले रोगियों का उपचार सम्मिलित है।

(4) निजी चिकित्सालयों हेतु निर्धारित शुल्क सभी सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए एक पैकेज है। इस पैकेज में कोविड केयर प्रोटोकाल के अनुसार उपचार प्रदान किए जाने के लिए बेड, भोजन तथा अन्य सुविधाएं जैसे—नर्सिंग केयर, मॉनिटरिंग, इमेजिंग सहित अन्य आवश्यक जाँचें, विजिट/कन्सल्ट, चिकित्सक, परीक्षण आदि की सुविधाएं सम्मिलित है।

(5) को—मॉर्बिडिटीज रोगियों का उपचार तथा अल्प अवधि की हीमो डायलिसिस की सुविधा भी पैकेज में सम्मिलित है।

(6) उक्त दर निर्धारण कोविड रोगियों हेतु राष्ट्रीय गाइडलाइन्स के अनुरूप निर्धारित की गयी है, किन्तु प्रयोगात्मक उपचार (जैसे—रैमडेसिविर इत्यादि) को इस पैकेज में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(7) उक्त दर निर्धारण में कोविड—19 हेतु आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट आदि तथा आई0एल0—6 टेस्ट को सम्मिलित नहीं किया गया है।

(8) उक्त दर निर्धारण पीडियाट्रिक रोगियों के ऊपर भी लागू है।

(9) गर्भवती महिलाओं का प्रसव (नार्मल/सी—सेक्शन) तथा नवजात शिशु के उपचार पर होने वाले व्यय को चिकित्सालय द्वारा आयुष्मान भारत योजना के प्रचलित दर पर अलग से

लिया जाएगा। यद्यपि, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से इस संबंध में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

7— निजी चिकित्सालयों को कोविड–19 के रोगियों को भर्ती किए जाने हेतु राष्ट्रीय गाइडलाइन्स का अनुपालन किया जाना होगा। उक्त अस्पतालों द्वारा चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सकीय स्टाफ के लिए क्वारंटाइन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। क्रिटिकल केयर के लिए जिलों के चिकित्सालयों में बेड की कमी होने की दशा में शासनादेश संख्या–1659/पांच–5–2020, दिनांक 29.08.2020 की शर्ते/प्राविधान लागू होंगे।

8— यह आदेश एपीडेमिक डिज़ीज एक्ट 1897 (यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम–2020 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है। उक्त आदेश का उल्लंघन एपीडेमिक डिज़ीज एक्ट 1897 (यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम–2020 की संगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

13.4.21

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या–696 (1)/पाँच–5–2021 तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
(3) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(4) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
(7) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0प्र0।
(8) इण्डियन मेडिकल एसोशिएसन, उ0प्र0।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार चौहान)
अनु सचिव।

13/04/2021